न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-409RAAJodhpur2021-144RTA223 Bhagawanram Vs Gulaki etc

भगवानराम पुत्र श्री भीखाराम, जाति जाट, निवासी– भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. गुलकी पत्नी श्री गुमानराम
2. पपुड़ी पुत्री श्री गुमानराम
3. लीला उर्फ पार्वती पुत्री श्री गुमानराम,
4. नथाराम पुत्र श्री मानाराम,
5. मुल्तानराम पुत्र श्री मंगलाराम,
6. पेमाराम पुत्र श्री मंगलाराम,
7. रामस्वरूप पुत्र श्री मंगलाराम,
8. हापीदेवी पत्नी श्री मंगलाराम,
9. जेठाराम पुत्र श्री माधाराम
10. सुगनाई पत्नी श्री चम्पालाल
11. गणपतराम पुत्र श्री चम्पालाल,
12. खेमाराम पुत्र श्री चम्पालाल,
13. रामचन्द्र पुत्र श्री चम्पालाल
14. दूदाराम पुत्र श्री चम्पालाल,
   सभी जातियान जाट, निवासीगण भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला लोधपुर।
15. बाया पुत्री श्री चम्पालाल पत्नी श्री रामनिवास, जाति जाट, निवासीनी–नाड़सर, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
16. रामनिवास पुत्र श्री अनाराम,
17. रामदयाल पुत्र श्री जंवताराम
18. हड़मानराम पुत्र श्री जंवताराम,
19. पाला पुत्री श्री जंवताराम,
20. पतु पुत्री श्री जंवताराम,
21. लिछमी पत्नी श्री जंवताराम,
22. शान्ति पत्नी श्री भीयाराम,
23. पपुराम पुत्र श्री भींयाराम,
24. सन्तोकराम पुत्र श्री भींयाराम,
25. छोटुराम पुत्र श्री भींयाराम,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

26. खमलराम पुत्र श्री भींयाराम,
27. हुकमाराम पुत्र श्री भींयाराम,
28. सायरराम उर्फ सीताराम पुत्र श्री उगमाराम,
29. चन्द्राराम पुत्र श्री उगमाराम,
30. सगताराम पुत्र श्री उगमाराम,
31. दुलकी पत्नी श्री उगमाराम,
32. हापुराम पुत्र श्री केसाराम,

सभी जातियान नायक, निवासीगण – भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर

33. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, भोपालगढ़ ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 13. जनवरी 2020 सहायक कलक्टर भोपालगढ़ राजस्व मूल वाद संख्या 15/2011 अनवान रामनिवास बनाम गुलकी

उपस्थित–
श्री रमेश कुमार वैष्णव, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14,16,17,19 से 25, 27 से 32
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 33

नि र्ण य

दिनांक : 07 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2011 अनवान रामनिवास बनाम गुलकी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 16 से 32 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम भोपालगढ़ एम. बी. की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3772 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3774 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3776 रकबा 41 बीघा 12 बिस्वा के संबंध में पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 से 11 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध एक तरफी कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। जिसने वादीगण के कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारां निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 13. जनवरी 2020 के जरिये वादीगण के वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तो की पालना किये बिना आदेश पारित किया है। आलौच्य निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.08.2019 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2020 प्रार्थी के अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं रही थी। हाल ही में गांव में अफवाह सुनी कि खेतों के बंटवाड़े का आदेश हुआ है, तब उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में वास्तविकता की जानकारी के लिए गया व मालुमात दिनांक 04.10.2021 को किया तो मालुम चला कि आदेश तो पारित हुआ है। जिस पर उसी रोज नकल हेतु आवेदन किया जो दूसरे दिन दिनांक 05.10.2021 को प्राप्त हुई, जिसको लेकर अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की तो उन्होने बताया कि निर्णय की अपील करनी पड़ेगी जिस पर खर्चे की व्यवस्था कर यह अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी ने जानबूझकर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलम्ब नहीं किया है, उक्त विलम्ब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने बिना तनकियात कायम किये वाद को निर्णित कर दिया, जबकि जवाब में वादीगण के तथ्यों का खण्डन कर दिया था। इसलिए तनकियात कायम की जानी आज्ञापक थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने संशोधित निर्णय में वादीगण को खसरा नम्बर 3776 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा का खरीददार मानकार खातेदार घोषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर दिया तो अन्य खसरों में खातेदार घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह था कि बेचानकर्ता ने खसरा नम्बर 3776 में अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्से का बेचान किया है, उसको सही माना जावे या कानूनी बिन्दु के अनुसार एक खातेदार संयुक्त खातेदारी की भूमि से अपना हिस्सा विशेष का बेचान नहीं कर सकता। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 3776 में वादीगण को खातेदार घोषित मानते ही दूसरा बिन्दु खत्म हो गया। उसके बावजूद भी विरोधाभाषी निर्णय पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं विरोधाभाषी होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2011 अनवान रामनिवास बनाम गुलकी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2020 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता की खरीदसुदा भूमि है जो पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11.06.1973 के जरिये खरीद की गई है। विक्रेता मानाराम द्वारा उक्त विक्रय विलेख के जरिये खसरा नं. 3776 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया। साथ ही उक्त बेचाननामा में शर्त रखी गई कि भविष्य में यदि कोई कानूनी अड़चन उत्पन्न होती है तो वादीगण खसरा नं. 3772, 3774, 3776 कुल रकबा 55.01 बीघा में सें अपने 1/6 हिस्से की मांग कर सकते है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 के जरिये वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खातेदारों के मध्य दर्ज हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार भोपालगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पत्र क्रमांक प्राथ.डिक्री/2019/1584 दिनांक 19.11.2019 के जरिये विचारण न्यायालय से मार्गदर्शन चाहा गया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है, इस कारण पी.डी. की पालना संभव नहीं हैं।

विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार के मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में वादीगण को संशोधित निर्णय एवं डिक्री के जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11 जून 1973 के आधार पर 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा दोनो निर्णय विरोधाभाषी पारित किये है, इस संबंध में दोनो निर्णय से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त तहसीलदार भोपालगढ को विभाजन नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2011 अनवान रामनिवास बनाम गुलकी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2020 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-409RAAJodhpur2021-144RTA223 Bhagawanram Vs Gulaki etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
भगवानराम पुत्र श्री भीखाराम, जाति जाट, निवासी– भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।	बनाम	1. गुलकी पत्नी श्री गुमानराम 2. पपुड़ी पुत्री श्री गुमानराम 3. लीला उर्फ पार्वती पुत्री श्री गुमानराम, 4. नथाराम पुत्र श्री मानाराम, 5. मुल्तानराम पुत्र श्री मंगलाराम, 6. पेमाराम पुत्र श्री मंगलाराम, 7. रामस्वरूप पुत्र श्री मंगलाराम, 8. हापीदेवी पत्नी श्री मंगलाराम, 9. जेठाराम पुत्र श्री माधाराम 10. सुगनाई पत्नी श्री चम्पालाल 11. गणपतराम पुत्र श्री चम्पालाल, 12. खेमाराम पुत्र श्री चम्पालाल, 13. रामचन्द्र पुत्र श्री चम्पालाल 14. दूदाराम पुत्र श्री चम्पालाल, सभी जातियान जाट, निवासीगण भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला लोधपुर। 15. बाया पुत्री श्री चम्पालाल पत्नी श्री रामनिवास, जाति जाट, निवासीनी–नाड़सर, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर। 16. रामनिवास पुत्र श्री अनाराम, 17. रामदयाल पुत्र श्री जंवताराम 18. हड़मानराम पुत्र श्री जंवताराम,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

19. पाला पुत्री श्री जंवताराम,
20. पतु पुत्री श्री जंवताराम,
21. लिछमी पत्नी श्री जंवताराम,
22. शान्ति पत्नी श्री भीयाराम,
23. पपुराम पुत्र श्री भींयाराम,
24. सन्तोकराम पुत्र श्री भींयाराम,
25. छोटुराम पुत्र श्री भींयाराम,
26. खमलराम पुत्र श्री भींयाराम,
27. हुकमाराम पुत्र श्री भींयाराम,
28. सायरराम उर्फ सीताराम पुत्र श्री उगमाराम,
29. चन्द्राराम पुत्र श्री उगमाराम,
30. सगताराम पुत्र श्री उगमाराम,
31. दुलकी पत्नी श्री उगमाराम,
32. हापुराम पुत्र श्री केसाराम,

सभी जातियान नायक, निवासीगण – भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर
भूमिधारी जरिये तहसीलदार, भोपालगढ़ ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 13. जनवरी 2020 सहायक कलक्टर भोपालगढ़ राजस्व मूल वाद संख्या 15/2011 अनवान रामनिवास बनाम गुलकी

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 07 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार वैष्णव मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2011 अनवान रामनिवास बनाम गुलकी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 अगस्त 2019 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2020 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 07 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर